



## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रं./2093 /जि.पं./अनुमति/2017

राजनांदगांव, दिनांक- 24/05/2017

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) /शिक्षक (पंचायत) द्वारा अनिवार्य योग्यता (प्रशिक्षण) हेतु स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को निम्न वर्णित प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदाय किया जाता है ।

क्रं.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पद नाम	पदस्थ शाला का नाम	विकासखंड	परीक्षा का नाम जिसके लिए अनुमति चाहा गया है ।	
					परीक्षा का नाम	परीक्षा वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	गौकरण चन्द्रवंशी	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला सुखरी	छुईखदान	डी.ई.एल.एड.	2017
2	मंजुला चुरेन्द्र	व्या. (पं.)	हाईस्कूल बफरा	खैरागढ़	डी.ई.एल.एड.	2016-17
3	श्रीमति त्रिवेणीधारा ठाकुर	व्या. (पं.)	हाईस्कूल, अर्जुनी	डोंगरगांव	डी.ई.एल.एड.	2017
4	पवन लाल कोरटिया	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला चिखली	अं.चौकी	डी.एड./बी.एड.	2017
5	श्रीमति ममता पालेश्वर	शिक्षक (पं.)	पू.मा.शाला भौरमपुर	छुईखदान	डी.ई.एल.एड.	2017
6	श्रीमति शीतल रामटेके	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला भैंसातरा	राजनांदगांव	बी.एड.	2017
7	मनीष कुमार सोनी	व्या. (पं.)	हाईस्कूल रुदगांव	डोंगरगांव	बी.एड.	कार्योत्तर अनुमति
8	प्रशांत कुमार बंजारे	व्या. (पं.)	उ.मा.शाला घुमका	राजनांदगांव	बी.एड.	कार्योत्तर अनुमति

शर्तें—

1. संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को स्वाध्यायी रूप से उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा दिवस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।
2. अध्यापन कार्य प्रभावित न हों इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग तथा संस्था प्रमुख की होगी ।
3. जिन परीक्षाओं के लिए अनुमति दिया जा रहा है केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए ही मान्य होगा ।
4. प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अनुमति दिया जा रहा है । प्रस्तुत अभिलेख में त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रं./ 2094 /जि.पं./अनुमति/2017

राजनांदगांव, दिनांक- 24/05/2017

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, राजनांदगांव ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड .....(सर्व) जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सर्व संबंधित .....को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)